रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052023-245576
CG-DL-E-02052023-245576

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276] नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 2023/वैशाख 11, 1945
No. 276] NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 2023/VAISAKHA 11, 1945

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2023

फा. सं. CEA-PS-13-23(13)/2/2023-PSPM Division.—जबकि मैसर्स हीरो सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय, प्लॉट नं. 201, पहली मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेस – 3, नई दिल्ली – 110020 है, ने पारेषण योजना "मैसर्स हीरो सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के 250 मेगा वाट सोलर पावर प्लांट, गाँव देदासरी तहसील - बाप, जिला - जोधपुर, राजस्थान में स्थित, की कनेक्टिविटी" के तहत बिजली की तार बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं.सीईए - पी एस-11-21(25)/1/2018-पी एस पी ए -I डिवीजन-पार्ट(2) -I /6190/2019 दिनांक 25.07.2019 के द्वारा पारेषण योजना "मैसर्स हीरो सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के 250 मेगा वाट सोलर पावर प्लांट, गाँव देदासरी तहसील - बाप , जिला - जोधपुर , राजस्थान में स्थित, की कनेक्टिविटी" के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइन के लिए मैसर्स हीरो सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मैसर्स हीरो सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 22.07.2020 [द टाइम्स ऑफ़ इंडिया (अंग्रेज़ी में), जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर प्रकाशन], दिनांक 22.07.2020 [दैनिक भास्कर (हिंदी में),जोधपुर प्रकाशन], दिनांक 22.07.2020 [राष्ट्रदूत (हिंदी में), जालोर प्रकाशन[], दिनांक 22.07.2020 [दैनिक जलते दीप (हिंदी में),जोधपुर प्रकाशन] तथा भारत का राजपत्र दिनांक 29.08.2020 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की

टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मैसर्स हीरो सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने 14.02.2023 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों/ भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मैसर्स हीरो सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के 250 मेगा वाट सोलर पावर प्लांट, गाँव देदासरी तहसील - बाप , जिला - जोधपुर , राजस्थान में स्थित, की कनेक्टिविटी के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

(i) गाँव कुशलाराम की बस्ती, जोधपुर में स्थित हीरो सोलर जनरेशन स्विचयार्ड से भादला 220 के.वी एस.सी लाइन उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत शिरोपरिलाईन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

गांवो के नाम	तालुक	जिला	राज्य
देदासरी	बाप	जोधपुर	राजस्थान
खाखुरी	बाप	जोधपुर	राजस्थान
नुरे की भुर्ज	बाप	जोधपुर	राजस्थान

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय,भारत सरकार, "मैसर्स हीरो सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड" को उपरोक्त शिरोपरि लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

(iv) आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

(v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

(vi) "मैसर्स हीरो सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड"को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

(vii) यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) मानचित्र में चिह्नित जीआईबी संभावित क्षेत्र (या प्राथमिकता क्षेत्र) में आता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जीआईबी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838, आदेश दिनांक 19.04.2021 का हिस्सा है | आवेदक को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन के भूमिगत होने के संबंध या बर्ड डायवर्टर लगाने के लिये, जैसा भी मामला हो, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 के निर्देशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी समिति के निर्देशों का पालन करना है ।

राकेश गोयल, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./58/2023-24]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 27th March, 2023

F. No. CEA-PS-13-23(13)/2/2023-PSPM Division.—Whereas M/s Hero Solar Energy Private Limited, the applicant with its registered office at Plot No. 201, First Floor, Okhla Industrial Estate, Phase – III, New Delhi – 110020, has applied for authorization u/s 164 of the Electricity Act, 2003 forlaying of electric line under the transmission scheme “Connectivity to M/s Hero Solar Energy Private Limited for its 250 MW Solar Power Plant in Village – Dedasari, Tehsil – Bap, Jodhpur, Rajasthan”

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its Letter No.CEA-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I Division-Part(2)-I/6190/2019dated 25.07.19had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Hero Solar Energy Private Limitedfor the overhead line covered under the transmission scheme “Connectivity to M/s Hero Solar Energy Private Limited for its 250 MW Solar Power Plant in Village – Dedasari, Tehsil – Bap, Jodhpur, Rajasthan”.

M/s Hero Solar Energy Private Limited has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 22.07.2020(The Times of India (in English), Jaipur, Kota, Udaipur, Jodhpur edition), dated 22.07.2020 (Dainik Bhaskar (in Hindi), Jodhpur edition),dated 22.07.2020 (Rashtradoot (in Hindi), Jalore edition), dated 22.07.2020 (DainikJalte Deep (in Hindi), Jodhpur edition) and in Gazette of India dated 29.08.2020 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s Hero Solar Energy Private Limited has submitted an affidavit dated 14.02.2023 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Connectivity to M/s Hero Solar Energy Private Limited for its 250 MW Solar Power Plant in Village – Dedasari, Tehsil – Bap, Jodhpur, Rajasthan”. The following overhead lineis covered under this transmission scheme:

(i) Hero Solar Generation Switchyard at village Kushlaramki Basti, Jodhpur - Bhadla 220 kV S/c line.

The above overhead line included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

NAME OF VILLAGES	TALUK	DISTRICT	STATE
Dedasari	Bap	Jodhpur	Rajasthan
Khakhuri	Bap	Jodhpur	Rajasthan
Nure Ki Bhurj	Bap	Jodhpur	Rajasthan

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Hero Solar Energy Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

(i) The approval is granted for 25 years;

(ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;

(iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc.,framed under Electricity Act, 2003.

(iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

(v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

(vi) M/s Hero Solar Energy Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defenceetc., at the time of Electrical Inspection.

(vii) In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the GIB potential zone (or priority zone) marked in the map which is part of the order of the Hon'ble Supreme Court order dated 19.04.2021, in the petition No.838 of 2019 regarding GIB (Great Indian Bustard) case, the applicant has to comply with the directions of the Hon'ble Supreme Court, with regard to undergrounding of the above overhead transmission line and / or fixing of bird diverters, as the case may be as per the Hon'ble Supreme Court Order dated 19.04.2021 and the directions of the technical committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

RAKESH GOYAL, Secy.

[Advt.-III/4/Exty./58/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA